रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577] नई दिल्ली, शनिवार, जून 3, 2006/ज्येष्ठ 13, 1928
No. 577] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 3, 2006/JYAISTHA 13, 1928

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2006

का.आ. 952(अ). केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा-3 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ. 598(अ) तारीख 28 अप्रैल, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 20 और 21 और इसके पश्चात् संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	नाम और पता	पदनाम और श्रेणी
20.	श्री विनीत विरमानी, निदेशक, एसोचेम	सदस्य, प्रतिनिधि, परोपकारी कार्यकलापों से जुड़ा व्यापार, वाणिज्य व उद्योग संघ
21.	श्री हरी सेठी, निदेशक, फिक्की-सामाजिक शैक्षिक विकास निधि	सदस्य, प्रतिनिधि, परोपकारी कार्यकलापों से जुड़ा व्यापार, वाणिज्य व उद्योग संघ

3. राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्ति (क्रम सं. 20 और 21) 3 वर्ष की अवधि तक अथवा उनके उत्तराधिकारी नियुक्त होने तक जो भी बाद में हों, पदधारित करेंगे ।

[फा. सं. 5-14/2004-एन.आई.II]

जी. एन. पेगू, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : उपर्युक्त संदर्भित अधिसूचना भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2006

S.O. 852(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 3 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), the Central Government hereby makes the following amendments to the Notification Number S.O. 598(E) dated the 28th April, 2005, namely :—

2. In the said Notification, for serial numbers 20 and 21 and entries relating thereto, the following serial number and entries will be substituted, namely :—

Sl. No.	Name and Address	Designation and Category
20.	Shri Vineet Virmani, Director, ASSOCHAM	Member, Representative, Association of Trade, Commerce and Industry engaged in philanthropic activities
21.	Shri Harry Sethi, Director, FICCI-Social Education Development Fund	Member, Representative, Association of Trade, Commerce and Industry engaged in philanthropic activities

3. Persons appointed as Members (Sl. Nos. 20 and 21) of the Board of the National Trust shall hold office for a period of 3 years or till their successors are appointed, whichever is later.

[F. No. 5-14/2004-NI. II]

G. N. PEGU, Jt. Secy.

Footnote :—The above-referred Notification was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-Section (ii).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.